चित्रकूट पुलिस

(1). मिशन शक्ति फेज-6 के अंतर्गत बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं स्वावलंबन के प्रति जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई।

आज दिनाँक 28.10.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुम कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा (थाना रैपुरा द्वारा कस्बा रैपुरा में,थाना बहिलपुरवा द्वारा ग्राम करकापडरिया में,थाना मारकुण्डी द्वारा ग्राम गोपीपुर में,थाना सरधुवा द्वारा सरधुवा स्कूल में,थाना मानिकपुर द्वारा रेलवे स्टेशन मानिकपुर पर,थाना कोतवाली कर्वी द्वारा पोस्ट ऑफिस कर्वी में,) स्थानों पर भ्रमण कर मिशन शक्ति फेज-6 के अंतर्गत छात्राओं/बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का

अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). प्रेस नोट-चित्रकूट पुलिस
चित्रकूट पुलिस द्वारा 05 अभियुक्तों से 89 क्वार्टर अवैध देशी शराब बरामद किया गया

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 89 क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।
(i). उ0नि0 श्री रामअधार सिंह मय हमराही आरक्षी राकेश,आरक्षी शुभम त्रिपाठी थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा अभियुक्त राजकुमार रैदास पुत्र स्व0 नत्थू रैदास निवासी बंदई मजरा तितौली थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 20 क्वार्टर अवैध देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
(ii). उ0नि0 श्री अनन्त कुमार तिवारी एवं उ0नि0 श्री अनिल सिंह थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट द्वारा अभियुक्त छोटेलाल पुत्र स्वामीदीन निवासी रैपुरवा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को एक झोले में 18 क्वार्टर अवैध देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना सरधुवा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
(iii).उ0नि0 श्री रमेश सिह यादव मय हमराह आरक्षी भानू यादव थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट द्वारा अभियुक्त केशरी प्रसाद कोल उर्फ देवमनि कोल पुत्र गोकुल प्रसाद कोल निवासी खारा थाना पनवार रीवा म0प्र0 को एक झोलें में 20 क्वार्टर अवैध देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना बरगढ़ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
(iv) उ0नि0 श्री राजेश कुमार मय हमराही आरक्षी अनिल सिंह थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा अभियुक्त संतराम पुत्र शिवरतन निवासी गोलतालाब थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को एक प्लास्टिक के झोले में 12 अदद क्वार्टर देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
(v).उ0नि0 श्री अतेन्द्र कुमार चौहान मय हमराही आरक्षी कामता सिंह ,आरक्षी प्रवीण सिंह थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट द्वारा अभियुक्त महेन्द्र कुमार उर्फ जीतू गुप्ता पुत्र रामकिशोर गुप्ता निवासी गोडा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को एक प्लास्टिक के झोले में 19 अदद क्वार्टर देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना भरतकूप में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(3).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपदवासियों को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखने एवं साइबर अपराध के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चित्रकूट पुलिस द्वारा साइबर जागरुकता माह अक्टूबर 2026 के तहत व्यापक स्तर पर साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में दिनांक 30.10.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूष कान्त राय एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक साइबर सेल श्री विजय कुमार सिंह एवं उनकी टीम के मार्गदर्शन में जनपद के

समस्त थानों की साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा (थाना बरगढ़ पुलिस द्वारा जीआआसी इण्टर कॉलेज बरगढ़ में, थाना कोतवाली कर्वी पुलिस द्वारा केन्द्रीय विद्यालय कर्वी में , थाना राजापुर पुलिस द्वारा तुलसीघाट राजापुर में एवं समस्त थानों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में) स्थानों पर साइबर जागरूकता का नियमित अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

कार्यक्रमों के दौरान महिलाओं, बालिकाओं, छात्र-छात्राओं एवं अध्यापकगण को साइबर अपराधों के विभिन्न प्रकार, उनसे बचाव के उपाय तथा साइबर अपराध घटित होने की स्थिति में तत्काल की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान छात्र-छात्राओं एवं आमजन द्वारा साइबर अपराध से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का समाधान करते हुए उन्हें सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने के लिए जागरूक किया गया।

चित्रकूट पुलिस द्वारा आमजन को बताया गया कि वर्तमान समय में साइबर अपराधी विभिन्न प्रकार के प्रलोभन, फर्जी कॉल, मैसेज, लिंक, सोशल मीडिया अकाउंट एवं मोबाइल एप के माध्यम से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। इसलिए किसी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास न करें तथा ऑनलाइन लेन-देन करते समय विशेष सावधानी बरतें।

साइबर अपराध से बचने हेतु महत्वपूर्ण सावधानियां

किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना बैंक अकाउंट विवरण, एटीएम/डेबिट कार्ड नंबर, पिन, CVV एवं OTP किसी भी स्थिति में साझा न करें।

एटीएम का प्रयोग करते समय विशेष सावधानी बरतें तथा किसी अनजान व्यक्ति की सहायता न लें।

बैंक या किसी अन्य संस्था के नाम पर आने वाले संदिग्ध फोन कॉल, मैसेज एवं लिंक पर बिना सत्यापन के भरोसा न करें।

डिजिटल अरेस्ट जैसी साइबर ठगी से सावधान रहें। पुलिस अथवा कोई सरकारी अधिकारी वीडियो कॉल पर पूछताछ के नाम पर आपको घर में कैद रहने या पैसे भेजने के लिए बाध्य नहीं करता।

अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, पता, जन्मतिथि, बैंक संबंधी जानकारी आदि किसी अनजान व्यक्ति के साथ फोन, ई-मेल, SMS, फेसबुक, व्हाट्सएप अथवा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा न करें।

बोनस प्वाइंट, रिवार्ड प्वाइंट, कैशबैक, दीपावली ऑफर, KBC अथवा अन्य लुभावने ऑफर के नाम पर बैंक डिटेल या OTP मांगने वालों से सावधान रहें।

किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर AnyDesk, TeamViewer अथवा किसी अन्य रिमोट एक्सेस एप को मोबाइल में इंस्टॉल न करें।

टेलीग्राम/व्हाट्सएप आदि के माध्यम से ट्रेडिंग, गेमिंग अथवा निवेश में अधिक लाभ का लालच देने वाले लिंक एवं APK फाइलों से सावधान रहें। अनजान लिंक से कोई एप डाउनलोड न करें।

कम समय में पैसा दोगुना करने, क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर अत्यधिक रिटर्न दिलाने अथवा घर बैठे अधिक कमाई कराने वाली संदिग्ध योजनाओं के लालच में न आएं।

फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर), ब्लॉग, चैट रूम आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी निजी जानकारी, घर का पता, फोन नंबर, जन्मतिथि एवं वर्तमान लोकेशन सार्वजनिक रूप से साझा न करें।

पुलिस/साइबर अधिकारी बनकर यदि कोई व्यक्ति फोन कर आपके बच्चे के विरुद्ध बलात्कार, अपहरण आदि का मामला बताकर अथवा आपके द्वारा अश्लील वीडियो देखने का आरोप लगाकर पैसे की मांग करे तो घबराएं नहीं और किसी भी खाते में पैसे ट्रांसफर न करें।

किसी भी संदिग्ध लिंक, QR कोड या वेबसाइट पर अपनी बैंकिंग जानकारी दर्ज न करें।

ऑनलाइन खरीदारी करते समय केवल विश्वसनीय वेबसाइट एवं आधिकारिक एप का ही प्रयोग करें।

सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से प्राप्त वीडियो कॉल, फोटो एवं लिंक को स्वीकार/ओपन करने में सावधानी बरतें।

अपने सभी महत्वपूर्ण ऑनलाइन अकाउंट में मजबूत पासवर्ड एवं जहां संभव हो Two-Factor Authentication (2FA) का प्रयोग करें।

साइबर ठगी होने पर तत्काल करें शिकायत

यदि किसी व्यक्ति के साथ ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, UPI फ्रॉड, साइबर ठगी या किसी अन्य प्रकार का साइबर अपराध हो जाता है तो घबराएं नहीं और तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।

साथ ही साइबर अपराध की शिकायत https://www.cybercrime.gov.in पर भी दर्ज की जा सकती है। ठगी के तुरंत बाद शिकायत करने से धनराशि को आगे ट्रांसफर होने से रोकने की संभावना बढ़ जाती है।

चित्रकूट पुलिस द्वारा जनपदवासियों से अपील की गई कि सतर्क रहें, जागरूक रहें और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाएं। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ OTP, PIN, CVV अथवा बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी साझा न करें तथा साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल 1930 पर सूचना दें।